पत्रांकः–4 / वन भूमि–17 / 2025..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

अभय कुमार,
वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखंड,
राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) कुल 43.85 कि0मी0 पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) कुल 43.85 कि0मी0 पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–4177 वृक्ष प्रभावित होंगे जिसमें से 677 वृक्षों का पातन एवं 3500 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित किया गया है। विषयांकित अपयोजन के प्रस्तावित स्थल पर वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11-43/2013-FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 22.716 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अर्थात् 45.432 हे० अर्थात् 45.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि रोहतास वन प्रमंडल अंतर्गत रोहतास वन प्रक्षेत्र के मौजा–बुधुआ (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये इसके उपयुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा प्रपत्र–II में अंकित है एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की

अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र–IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जाता है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 22.716 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रु० 2,17,56,930/–(दो करोड़ सत्रह लाख छप्पन हजार नौ सौ तीस रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 22.716 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए रोहतास वन प्रमंडल अंतर्गत 45.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन क्षेत्र में चिन्हित करते हुए रू० 1,05,14,922/– (एक करोड़ पाँच लाख चौदह हजार नौ सौ बाइस रुपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1648/– रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. परियोजना निर्माण के क्रम में पौधों का पुनर्स्थापन प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी के दिशा–निर्देशन में कराया जायेगा। पुनर्स्थापित होने वाले पौधों के लिए स्थल एवं प्रक्रिया का निर्धारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा किया जायेगा।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा सिविल याचिका–1164/2023 : अशोक कुमार वर्मा, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत) बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के उपरांत ही वन भूमि का अपयोजन किया जा सकेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(अभय कुमार)

वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–4/वन भूमि–17/2025...../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(अभय कुमार)

वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–4/वन भूमि–17/2025 1603 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 04/04/25

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

4/4/25

(अभय कुमार)

वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

04/Van Bhumi:- 17/2025

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 22.716 ha. forest land for construction of Ara-Sasaram (Via Saklas-patara) (40.45-84.30 KM.) Road in Bhojpur District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 04/04/25

Place:- Patna

Signature:-

Name of Designation:-

Official Seal:-

वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
बिहार, पटना